राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर
बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001

Rajasthan Nursing Council, Jaipur
B-39, Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur - 302001

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

क्रमांक : पं.01 (07)/RNC/ कार्यालय आदेश/2025/ 124 दिनांक : 11/06/25

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा अयोजित परीक्षा सम्बन्धित विभिन्न कार्यो के लिए देय भुगतान के सम्बन्ध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक आरएनसी/संस्था/2023/177 दिनांक 20 जुलाई, 2023 के बिन्दु संख्या 9 **"भवन एवं फर्नीचर किराया भुगतान के सम्बन्ध में"** सम्मुख अंकित निर्णय के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी नर्सिंग संस्थान को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की दशा में ऐसे सरकारी नर्सिंग संस्थानों के पास पर्याप्त भवन नहीं होने की स्थिति में उनके द्वारा किराये पर लिये गये भवन के क्रम में ऐसे भवन का वास्तविक किराया ही भुगतान योग्य होगा। इसी प्रकार सरकारी नर्सिंग संस्थान में पर्याप्त फर्नीचर नहीं होने की दशा में सरकारी नर्सिंग संस्थान द्वारा की गई फर्नीचर की अतिरिक्त व्यवस्था के लिए ऐसे फर्नीचर का परीक्षा दिवसों का वास्तविक किराया ही भुगतान योग्य होगा। निजी नर्सिंग संस्थानों/परीक्षा केन्द्रों को **"भवन एवं फर्नीचर किराया भुगतान के सम्बन्ध में"** निर्णय अनुसार @ रुपये 15/–प्रति परीक्षार्थी की दर से भुगतान किया जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् जारी किया जा रहा है।

(जोईस कुरियन)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल,
जयपुर

क्रमांक : पं.01 (07)/RNC/ कार्यालय आदेश/2025/ 124 दिनांक : 11/06/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, निदेशक (जन.स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा, परीक्षा अनुभाग, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी सभी नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर, राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

Tel.: +91 141 2222923 | Fax: +91 141 2222099 | Website : www.rncjaipur.org | E-mail : rncjaipur@gmail.com